आज केकड़ी आएंगे मुख्यमंत्री: 1258 करोड़ की फोरलेन सड़क परियोजना की रखेंगे आधारशिला

475 करोड़ के प्रथम चरण का होगा शिलान्यास; कृषि उपज मंडी में आयोजित होगा भव्य समारोह

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 10 जुलाई (दीपांकुर चौहान)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र के विकास को बड़ी रफ्तार देते हुए 1258 करोड़ की लागत से बनने वाली फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण **(First Phase)** में ?475 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी।

कार्यक्रम की रूपरेखा

हेलीपैड- मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर लैंड करेगा।

मुख्य समारोह- इसके बाद वे कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक गौतम ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर शुक्रवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात (ट्रैफिक), पार्किंग, पेयजल और बैठक व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यातायात या अन्य किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।
– लोक बंधु, जिला कलेक्टर

निरीक्षण के दौरान यह रहे मौजूद

तैयारियों के जायजे के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार, अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा और भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

चिड़ावा। कस्बे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही, मांगें पूरी न होने तक चिड़ावा सहित पूरे जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण तालाबंधी (कार्य बहिष्कार) का आह्वान किया गया है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि %उड़ान योजना% जैसे अतिरिक्त कार्यों के भारी बोझ ने उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित किया है। उनकी प्रमुख मांगों में मानदेय का समय पर भुगतान, सामुदायिक कार्यक्रम (सी.बी.ई.) की राशि 250 रुपये से बढ़ाना, पोषण ट्रैकर व अन्य सरकारी योजनाओं के लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान और मोबाइल रिचार्ज भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये करना शामिल है।

इस आंदोलन को चिड़ावा और आसपास क्षेत्र की अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से मंजू सुल्ताना, मंजू मालपुरा, सुनीता (खेदरपुरा खुर्द, आबिदा, सबीना, सरोज, अनूप कौर, बबीता, ममता, मलेरी, अनीता, सुनीता, कमलेश, रंजना, शकुंतला, राजेश्वरी, कमला, कविता, सोनू, चमेली, सुमन, सुशीला, कृष्णदेवी, गीता, ममता शर्मा, नीलम, मुनेश, कृष्णा, सुभिता, दुर्गा, सारा, भतेरी, सावित्री, सुमित्रा, राजलक्ष्मी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और ओ.बी.सी. पॉलिसी में उचित बदलाव नहीं किया जाता, तब तक वे अपने आंदोलन पर अडिग रहेंगी।

शहरी सेवा शिविर में उपनिदेशक ने लाभार्थियों को सौंपे पट्टे व विभिन्न प्रमाण-पत्र

नाथद्वारा, 10 जुलाई (का.सं.)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित शहरी सेवा शिविर-2026 के अंतर्गत नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा आयोजित शिविर का स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर के क्षेत्रीय उपनिदेशक विनोद कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को धारा 69ए के तहत 7 पट्टे, 2 भवन निर्माण स्वीकृति प्रमाण-पत्र, 5 नाम हस्तांतरण प्रमाण-पत्र, 2 उपविभाजन प्रमाण-पत्र, 1 विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 5 जन्म पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित दस्तावेज मौके पर ही वितरित किए।

नगरपालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने बताया कि शिविरों में सभी दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन एक पेड़ गौमाता के नाम अभियान में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाती है। वहीं एक रोटी गौमाता के नाम अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री संग्रहण वाहन के माध्यम से काइन हाउस के पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था तथा पक्षियों के लिए परिंडे भी लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक विनोद कुमार, नगरपालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल, सहायक अभियंता प्रतीक नामा, सौरभ मिश्रा, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पालिका कर्मचारी, लाभार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

कृष्ण कुमार गोयल बने गंगापुर सिटी केमिस्ट एलायंस के अध्यक्ष

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। गंगापुर सिटी केमिस्ट एलायंस की बैठक में राजस्थान केमिस्ट एलायंस के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष विनोद जैन की अनुशंसा पर कृष्ण कुमार गोयल कुबेर मेडिकल को अध्यक्ष तथा राजेंद्र कुमार गुप्ता को संरक्षक मनोनीत किया गया।

नई कार्यकारिणी में ओम प्रकाश अग्रवाल ओम मेडिकल को सचिव, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, विजेंद्र सिरोहिया एवं नरेंद्र नरेश शर्मा को उपाध्यक्ष तथा अनिल कुमार गोयल को सह सचिव नियुक्त किया गया।

बैठक में जिला सचिव गिरीश चंद्र स्वर्णकार, डीसीओ श्रीमती सिंधु कुमारी शर्मा सहित जुगल चांडक, वेद प्रकाश गुप्ता, बालमुकुंद मंगल, मुकेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, विनोद गुप्ता, वेद प्रकाश शर्मा, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, संजय गोयल, मौसीफ खान, नावेद खान, पवन गुप्ता, सागर शर्मा, मनीष गुप्ता, लखनलाल गर्ग, शत्रुघ्न गुप्ता, लक्ष्मी चंद, मोहनलाल अग्रवाल एवं महेश चंद्र गुप्ता सहित अनेक केमिस्ट उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यता अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

आईलैंड जैसी फिलिंग देगा कोटा का चंबल गार्डन

नदी किनारे 400 लोग कर सकेंगे एक साथ योग; ओपन एयर थियेटर-लेजर शो बनेंगे आकर्षण

कोटा, 10 जुलाई (का.सं.)। कोटा सहित हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक चम्बल गार्डन जल्द ही निखरे हुए स्वरूप में नजर आएगा। नगर निगम ने चम्बल गार्डन के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ से अधिक की कार्ययोजना तैयार की है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को कामों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे। निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश पर कोटा शहर के सौंदर्यीकरण एवं नागरिक सुविधाओं की कई योजनाओं पर निगम काम कर रहा है।

इसी दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में चम्बल गार्डन के पुनर्विकास काम शुरू किए जा रहे हैं। कोटा व हाड़ौती की पहचान और हर परिवार की पहली पसंद रहा ऐतिहासिक चम्बल गार्डन अब एक बार फिर अपनी खोई हुई रौनक वापस पाएगा। 1980 के दशक से लेकर नई सदी के शुरुआती सालों तक यह गार्डन बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और सैलानियों की सबसे पसंदीदा सैरगाह हुआ करता था। समय के साथ पर्याप्त रखरखाव और आधुनिक सुविधाओं के अभाव में चंबल गार्डन की चमक फीकी पड़ गई और यहां आने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती चली गई। यहां झील के साथ ही ग्लास ब्रिज भी बनेगा जो आकर्षण का केन्द्र रहेगा यहां झील के साथ ही ग्लास ब्रिज चंबल गार्डन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रकृति और संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा।

राजस्थान में कृषि विकास की नई इबारत, कृषि विभाग ने 32 संगठनों से किया ऐतिहासिक एमओयू

प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री-स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा नया आयाम, विकसित राजस्थान-2047 की दिशा में बड़ा कदम

जयपुर, 10 जुलाई। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पहल हुई। कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स तथा 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों **(CSOs)** के साथ समझौता ज्ञापनों **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीकों के प्रसार तथा किसानों की आय में सतत वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस आयोजन का लक्ष्य राजस्थान को प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती का हब बनाना है जिसके लिए प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान भी चलाया गया।

पंत कृषि भवन, जयपुर में आयोजित इस महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स, सिविल सोसाइटी संगठनों और किसानों के बीच मजबूत सहभागिता आवश्यक है। यही सोच इस ऐतिहासिक साझेदारी का आधार बनी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द्वारा पीएम **RKVY** योजना के अंतर्गत 25 स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए तक का, 25 स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए तक का तथा चार विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा एआई में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इस एमओयू के तहत कृषि कार्यों में एआई का उपयोग करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के पूरे प्रदेश से 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक स्तर के) गो आधारित प्राकृतिक, ऑर्गेनिक खेती पर श्री रामशांताय जैविक कृषि एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा में मंथन किया गया।

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश में 87 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनवाई जा चुकी है। राजसमंद एवं सिरोही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुभारंभ किया गया है इस सिस्टम के माध्यम से किसानों को उनकी फार्मर आईडी के आधार पर अनुदानित उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभागीय योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज किसान साथी ऐप पर डेढ़ सौ से अधिक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी संगठन मिल कर एक मंच पर कम करेंगे जिससे प्रदेश के किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती में लाभ मिल सकेगा। प्रत्येक तिमाही में सभी एमओयू संगठन मिलकर कार्य प्रगति पर चर्चा करेंगे। जिला स्तर पर जिला स्तरीय सेमिनार होगी, जिसमें जिला प्रशासन की अहम भागीदारी होगी।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27BKC, C-27, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-125, नोएडा (उत्तर प्रदेश) - 201313

नीचे उल्लिखित ऋणी(यों) ने ऋणदाता से ऋण लिया था, जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को समनुदेशित (assign) किया गया है। भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) के कारण, इस ऋण को अनर्जक आस्ति (NPA) घोषित किया गया है। धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस अंतिम ज्ञात पते पर भेजी गई थी परंतु तामील (डिलीवर) नहीं हो सकी; अतः सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफ़ोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत वैकल्पिक तामील के रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है।

क्र. सं.	ऋणी(यों)/ऋण खाता संख्या	ऋणदाता का नाम, समनुदेशन तिथि, मांग तिथि एवं राशि
1.	श्रीमती ललिता, स्वर्गीय श्री रमेश कुमार शर्मा की पत्नी (ऋणी श्री रमेश कुमार शर्मा की कानूनी वारिस)। श्री सिद्धार्थ शर्मा, श्री रमेश कुमार शर्मा के पुत्र (ऋणी श्री रमेश कुमार शर्मा के कानूनी वारिस)। खाता संख्या: 20300043512	PCHFL (पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड), समनुदेशन तिथि: 27.12.2024, मांग तिथि: 02.02.2026, राशि: रु. 32,78,217.86/-

बंधक संपत्ति का विवरण: वह संपूर्ण भूखंड एवं पार्सल जो खसरा नंबर 553/375, क्षेत्रफल 1.00 बीघा, ग्राम मोडियावत, पटवार हलका, चोलू खान, तहसील डीडवाना, नागौर, राजस्थान में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: गोचर भूमि, दक्षिण: आम रास्ता, पूर्व: विक्रेता स्वयं, पश्चिम: सुरजाराम गोखी अन्य। **बंधककर्ता (मॉर्टगेजर) का नाम: श्री रमेश कुमार शर्मा (स्वर्गीय/दिवंगत)।**

आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त बकाया राशि लागू ब्याज सहित चुकाएं। ऐसा न करने पर, बैंक SARFAESI अधिनियम के तहत बंधक रखी गई संपत्ति (सुरक्षित आस्ति) को कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगा। धारा 13(8) के अंतर्गत, आप अनुमत अवधि के भीतर सुरक्षित आस्ति को छुड़ा (रिडीम) सकते हैं। धारा 13(13) के अंतर्गत, आपको बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस सुरक्षित आस्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान: राजस्थान
दिनांक: 11.07.2026

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से

भौतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, ए-ब्लॉक, दुकान संख्या 8, एस.के. प्लाजा, एयरटेल के ऊपर, पुर रोड, भीलवाड़ा-311001

जबकि

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी करता है।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना	शाखा का नाम
1.	बाबू लाल बैरवा (ऋणकर्ता), गुड्डी (सह-ऋणकर्ता), **LHBLW**00001585239	ना पट्टा संख्या 50 ग्राम केसरपुरा राणास ग्राम पंचायत आशाहोली पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान पिन 311801 ना भीलवाड़ा राजस्थान- 311001, घिरा- उत्तर: पड़त, दक्षिण: श्री भेरू की संपत्ति, पूर्व: श्री मंगू की संपत्ति, पश्चिम: सार्वजनिक रास्ता/ कब्जे की तिथि- 07-जुलाई-26	21-05-2025 रु. 7,30,918/-	भीलवाड़ा
2.	बाबू लाल बैरवा (ऋणकर्ता), गुड्डी (सह-ऋणकर्ता), **LHBLW**00001585240	ना पट्टा संख्या 50 ग्राम केसरपुरा राणास ग्राम पंचायत आशाहोली पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान पिन 311801 ना भीलवाड़ा राजस्थान- 311001, घिरा- उत्तर: पड़त, दक्षिण: श्री भेरू की संपत्ति, पूर्व: श्री मंगू की संपत्ति, पश्चिम: सार्वजनिक रास्ता/ कब्जे की तिथि- 07-जुलाई-26	21-05-2025 रु. 25,350.16/-	भीलवाड़ा

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।

दिनांक: 11 जुलाई, 2026
स्थान: भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी
(पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र **CIN No.: U65922MH2005PLC272501**

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबकि वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने मुंबई स्थित मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने वीएचएफसीएल से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन गई हैं। उन्हें प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे नोटिस प्राप्त न होने के कारण वापस आ गए हैं। अतः उन्हें इस संबंध में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋणकर्ता सह-ऋणकर्ता का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि धारा 13(2) के अंतर्गत	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
सुरेश शर्मा (आवेदक), बाबू लाल (सह-उधारकर्ता), पद्मा, (सह-उधारकर्ता) संजू देवी (सह-उधारकर्ता) **LP**0000000055625	19-06-2026 16-06-2026 तक रूपये 6,18,749/- साथ ही उस पर आगे का ब्याज और शुल्क	प्रॉपर्टी का पता: ग्राम पंचायत सोयला, मिशेल नंबर 29/75, जोधपुर, पट्टा नंबर 5/21, जोधपुर, राजस्थान - 342001, एरिया - 2000 वर्ग फुट, उत्तर: किशन राम का प्लॉट, दक्षिण: मोहन राम की प्रॉपर्टी, पूर्व: ओमा राम मेघवाल का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता/सड़क।
स्वर्गीय सरदार बाई के सभी कानूनी वारिस (आवेदक), अनीता (स्वर्गीय सरदार बाई की बेटी और कानूनी वारिस), रेना (स्वर्गीय सरदार बाई की बेटी और कानूनी वारिस), बीना (स्वर्गीय सरदार बाई की बेटी और कानूनी वारिस), बादल (स्वर्गीय सरदार बाई के बेटे और कानूनी वारिस), मोहन लाल मेघवाल (सह-उधारकर्ता), बादल कुमार (सह-उधारकर्ता), दुर्गा शंकर (गारंटर) **MHL**000000160549	26-06-2026 16-06-2026 तक रूपये 3,48,103/- साथ ही उस पर आगे का ब्याज और शुल्क	प्रॉपर्टी का पता: घर का आवासीय उपयोग / पट्टा डीड नंबर 72, एरिया = 810 वर्ग फुट, खसरा नंबर 330, ग्राम कोला, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा (राजस्थान) - 326519, उत्तर: बद्री लाल का घर, दक्षिण: बजरंग लाल का घर, पूर्व: बाड़ा, पश्चिम: सड़क।
सांवर लाल गुर्जर (आवेदक), सीतादेवी देवी गुर्जर (सह उधारकर्ता), शंकर लाल गुर्जर (सह उधारकर्ता) **HL**0000000133540	26-06-2026 16-06-2026 तक रूपये 4,71,148/- साथ ही उस पर आगे का ब्याज और शुल्क	यह प्रॉपर्टी राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले की कोटड़ी तहसील में, गहुली ग्राम पंचायत के सोडियस गाँव में स्थित एक रिहायशी मकान है। यह मकान ग्राम पंचायत पट्टा नंबर 06 (दिनांक 06.04.2021) के तहत आवंटित किया गया था और यह एक पुराना रिहायशी मकान (पुश्तैनी मकान) है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,220 वर्ग फ़ीट है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर में केला/लाडू सुथार का घर, दक्षिण में हीरा/जगदीश सुथार का घर, पूर्व में अपना रास्ता, और पश्चिम में सार्वजनिक सड़क।
भंवर दास (आवेदक), सविता देवी (सह उधारकर्ता), शंकर लाल (गारंटर) एलपी0000000009476	26-06-2026 16-06-2026 तक रूपये 5,20,644/- साथ ही उस पर आगे का ब्याज और शुल्क	ग्राम पंचायत-सुल्तान जी का खेरवाड़ा, पंचायत समिति झाडोल, ज़िला उदयपुर, राजस्थान में स्थित प्रॉपर्टी, जिसका क्षेत्रफल 1368 वर्ग फ़ीट है, उत्तर: श्री गणेशदास का घर, दक्षिण: श्री जमनालाल का घर, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: श्री भरूलाल का घर।

नोटिस की वैकल्पिक तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कृपया सूचित किया जाए कि उक्त नोटिस धारा 13(13) के तहत भी है जो उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को सूचित करता है कि उक्त बंधक संपत्ति को बेचा / पट्टे पर दिया / स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक: 11.07.2026
स्थान: जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर,

अधिकृत अधिकारी,
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

(पहले पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
(इसके बाद **PFL/सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा जाएगा**) **CIN: L65910MH1984PLC032639**
रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नंबर-601, छठी मंज़िल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, **LBS** मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- 400070
ब्रांच का पता: दूसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर 337, रिलायंस पॉइंट के ऊपर, पारस एस्टेट, राणा प्रताप सर्कल के पास, रायपुर आवासीय योजना, राजस्थान- 314001

कब्ज़ा सूचना

अचल संपत्ति के लिए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) और परिशिष्ट- **IV** के अनुसार

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (जिसे इसके बाद पीएफएल/सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा) का वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लेखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है। ऋणकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (जिसे इसके बाद पीएफएल/सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा) द्वारा नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख और रकम	कब्ज़े की तारीख़
1	(जयपुर ब्रांच का **LC** नंबर **HLSA**000**A**65**B**8) हरीश सोनी (उधारकर्ता) यशोदा सोनी (सह-उधारकर्ता 1)	इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसका विवरण इस प्रकार है:- प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 162, मंगलम रामबाग बहरोड़ मैसर्स रामबाग डेवलपर्स, जो खसरा नंबर 266, 227, 233, 261, 264, 265 से 270, 272, 273, 274, 837, 838, 839, 134, 135, 201, 211, 212, 218/1409, 219, 225, 281, 282, गाँव हमजापुर और खसरा नंबर 3, 8, 9, 10, 14 से 17, 21 से 26, 32 से 38, 41, 42, 43, 45, 49 से 57, 71, 72 और 74 गाँव दुधेड़ा, तहसील + ज़िला कोटपूतली-बहरोड़ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 181.06 वर्ग मीटर है (जिसे आगे 'उक्त प्रॉपर्टी' कहा जाएगा)। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर:- प्लॉट नंबर 163, पश्चिम:- प्लॉट नंबर 190, पूर्व:- सड़क, दक्षिण:- प्लॉट नंबर 161	तारीख: 19-12-2025/ रूपये 37,61,839/- (सैंतीस लाख इकसठ हज़ार आठ सौ उनतालीस रुपये मात्र)	09-07-2026

तारीख: 11 जुलाई, 2026
स्थान: कोटपूतली

हस्ताक्षर/- (अधिकृत अधिकारी),
पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing
Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय:–9 वीं मंजिल,अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001,फोन:– 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

जोधपुर शाखा: प्लाट–17, तीसरी मंजिल, के.पी.टावर, अपर चोपासनी रोड, एनआर–बॉम्बे मोटर सर्कल, बलदेव नगर, जोधपुर राजस्थान–342003.
जयपुर शाखा: एसबी – 59, यूडीबी टावर्स, पहली मंजिल, सामने जयपुर नगर निगम, टोंक रोड, जयपुर–302015।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(S) (ए)	मांग सूचना की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/JDH/0924/1304576, बी.ओ.: जोधपुर, खुशबू/लक्ष्मण दास	**06.08.2025 तक रु. 2925498.62**	**भौतिक कब्जा**	प्लॉट नंबर 25, खसरा नंबर 435/3, विनायक विहार योजना, ग्राम झालामंड, जोधपुर, राजस्थान, 342001. भारत।	**रु. 2057000**	**रु. 205700**	**27.07.26**	**रु. 10,000**	**13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे**	**28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Unknown**
HOU/JPR/1119/755419, बी.ओ.: जयपुर, उर्मीला जुमवाल/गोपी चंद	**08.04.2021 तक रु. 1042907.77**	**भौतिक कब्जा**	16, प्रथम तल, एलआईजी बी, मोजिका लक्ष्मी विहार, 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत–302006	**रु. 634000**	**रु. 63400**	**27.07.26**	**रु. 10,000**	**13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे**	**28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Unknown**
HOU/JPR/1219/765314, बी.ओ.: जयपुर, शांति देवी/ गोविंद जयसवाल पूनम जयसल	**23.06.2021 तक रु. 816529**	**भौतिक कब्जा**	फ्लैट नंबर 9, तीसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस ए, मोजिका लक्ष्मी विहार, 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तेशिल सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत–302006	**रु. 589000**	**रु. 58900**	**27.07.26**	**रु. 10,000**	**13.07.26 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:00 बजे**	**28.07.26 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Unknown**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(रों) प्रस्तुत करने से पहले कर सकते हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया। उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दुर्गा शेखावतध्अश्वनी कुमार शर्मा, संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आँशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**